धारा 101 : अपील प्राधिकरण के आदेश

(1) अपील प्राधिकरण अपील या प्रतिनिर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने या उसे उपांतरित करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिनिर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या प्रतिनिर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मत का अंतर रखते हैं वहां यह समझा जाएगा कि अपील या प्रतिनिर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है।

(4) उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित् अग्रिम विनिर्णय की प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और प्राधिकरण को भेजी जाएगी।